न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –879 / 2022

अनवान : –

1. परमेश्वरी पुत्री शादीराम जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सुरतगढ़ जिला श्री गंगानगर। (फौत)

   1 / 1– देवीलाल पुत्र परमेश्वरी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सुरतगढ़ जिला श्री गंगानगर।

   2 / 1– रविन्द्र पुत्र परमेश्वरी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सुरतगढ़ जिला श्री गंगानगर।।

– वादी

बनाम्

1. भजनाराम पुत्र जयसिह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. विमला पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सिलोचना पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. कविता पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. ओम प्रकाश पुत्र बिदामी जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. देवीलाल पुत्र बिदामी जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. माया पुत्री बिदामी जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. रूकमा देवी पुत्री बिदामी जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
10. उप पंजीयक खुईया तहसील नोहर।।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 25/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 94 / 99 के खसरा नं. 1 की 6.4500 है0 व खसरा नं. 38 की 6.5760 है0 कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 13.0260 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें मृतका सन्तो पुत्री शादीराम के 1973 / 6513 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

शादीराम का स्वर्गवास हो चुका है शादी[illegible] के [illegible]रिस दाखा (पत्नी), जयसिंह (पुत्र), सन्तो, बिदामी व परमेश्वरी हुए जिस[illegible] [illegible] है जिसके वारि[illegible] [illegible]वादी संख्या 1 ता 4 है व बादामी फोत हो चुकी है जिसके वारिस [illegible]तिवादी संख्या 5 ता [illegible] सन्तो पुत्री शादीराम लावल्द फोत चुकी है व परमेश्वरी पुत्री शादीराम फौत हो चुकी है जिसके वारिस वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:17:55 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1/1 व 2/1 है। दाखा पत्नी शादीराम ने अपने हिस्से की भूमि अपनी पुत्री सन्तो पुत्री शादीराम के नाम वसीयत कर दी थी जो सन्तो के नाम दर्ज हो चुकी है तथा बिदामी पुत्री शादीराम ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भजनलाल के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में सन्तो पुत्री शादीराम के 1973/6513 हिस्सा भूमि दर्ज हुई तथा सन्तो पुत्री शादीराम लावल्द फोत हो चुकी है जिसकी मृत्यु के बाद मुताबिक बंटवारा सन्तो के नाम दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि पर वादीगण ६० हि० ब० काबिज है व 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 संयुक्त रूप से व 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 संयुक्त रूप से काबिज है व मृतका परमेश्वरी पुत्री शादीराम के नाम दर्ज 2605/13026 हिस्सा भूमि में वादीगण ब० हि० ब० काबिज है।

अत वाद वादीगण घोषणा की जावे की रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 94/99 के खसरा नं. 1 की 6.4500 है० व खसरा नं. 38 की 6.5760 है० कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 13.0260 है० भूमि में से 1973/6513 हिस्सा भूमि में मृतका सन्तो पुत्री शादीराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि ब० हि० ब० वादीगण के 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 संयुक्त रूप से व 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के संयुक्त रूप से दर्ज की जावे एवं 2605/13026 हिस्सा भूमि में मृतका परमेश्वरी पुत्री शादीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण 1/1 व 2/1 के ब० हि० ब० दर्ज किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र परमेश्वरी शपथ पत्र बाबत सदस्य दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि शादीराम का स्वर्गवास हो चुका है शादीराम के वारिस दाखा (पत्नी), जयसिंह (पुत्र), सन्तो, बिदामी व परमेश्वरी हुए जिसमें जयसिंह फोत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है व बादामी फोत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 है व सन्तो पुत्री शादीराम लावल्द फोत चुकी है व परमेश्वरी पुत्री शादीराम फोत हो चुकी है जिसके वारिस वादी संख्या 1/1 व 2/1 है। दाखा पत्नी शादीराम ने अपने हिस्से की भूमि अपनी पुत्री सन्तो पुत्री शादीराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:17:55 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के नाम वसीयत कर दी थी जो सन्तो के नाम दर्ज हो चुकी है तथा बिदामी पुत्री शादीराम ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भजनलाल के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में सन्तो पुत्री शादीराम के 1973/6513 हिस्सा भूमि दर्ज हुई तथा सन्तो पुत्री शादीराम लावल्द फोत हो चुकी है जिसकी मृत्यु के बाद मुताबिक बंटवारा सन्तो के नाम दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि पर वादीगण ६० हि० ब० काबिज है व 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 संयुक्त रूप से व 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 संयुक्त रूप से काबिज है व मृतका परमेश्वरी पुत्री शादीराम के नाम दर्ज 2605/13026 हिस्सा भूमि में वादीगण ब० हि० ब० काबिज है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 94/99 के खसरा नं. 1 की 6.4500 है० व खसरा नं. 38 की 6.5760 है० कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 13.0260 है० भूमि में से 1973/6513 हिस्सा भूमि सन्तो पुत्री शादीराम के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि शादीराम का स्वर्गवास हो चुका है शादीराम के वारिस दाखा (पत्नी), जयसिंह (पुत्र), सन्तो, बिदामी व परमेश्वरी हुए जिसमें जयसिंह फोत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है व बादामी फोत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 है व सन्तो पुत्री शादीराम लावल्द फोत चुकी है व परमेश्वरी पुत्री शादीराम फौत हो चुकी है जिसके वारिस वादी संख्या 1/1 व 2/1 है। दाखा पत्नी शादीराम ने अपने हिस्से की भूमि अपनी पुत्री सन्तो पुत्री शादीराम के नाम वसीयत कर दी थी जो सन्तो के नाम दर्ज हो चुकी है तथा बिदामी पुत्री शादीराम ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भजनलाल के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में सन्तो पुत्री शादीराम के 1973/6513 हिस्सा भूमि दर्ज हुई तथा सन्तो पुत्री शादीराम लावल्द फोत हो चुकी है जिसकी मृत्यु के बाद मुताबिक बंटवारा सन्तो के नाम दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि पर वादीगण ६० हि० ब० काबिज है व 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 संयुक्त रूप से व 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 संयुक्त रूप से काबिज है व मृतका परमेश्वरी पुत्री शादीराम के नाम दर्ज 2605/13026 हिस्सा भूमि में वादीगण ब० हि० ब० काबिज है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सदस्य [illegible] एवं सदस्य प्रमाण पत्र के के अलावा शादीराम के अन्य कोई वारिस नहीं होना [illegible] किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक [illegible] स्वीकार योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:17:55 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 94/99 के खसरा नं. 1 की 6.4500 है० व खसरा नं. 38 की 6.5760 है० कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 13.0260 है० भूमि में से 1973/6513 हिस्सा भूमि में मृतका सन्तो पुत्री शादीराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि ब० हि० ब० वादीगण को व 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 संयुक्त रूप से व 1/3 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 2605/13026 हिस्सा भूमि में मृतका परमेश्वरी पुत्री शादीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण 1/1 व 2/1 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....25/03/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:17:55 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –879/2022

अनवान : –

1. परमेश्वरी पुत्री शादीराम जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सुरतगढ़ जिला श्री गंगानगर। (फौत)

   1/1– देवीलाल पुत्र परमेश्वरी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सुरतगढ़ जिला श्री गंगानगर।

   2/1– रविन्द्र पुत्र परमेश्वरी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सुरतगढ़ जिला श्री गंगानगर।

– वादी

बनाम्

1. भजनाराम पुत्र जयसिह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. विमला पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सिलोचना पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. कविता पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. ओम प्रकाश पुत्र बिदामी जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
6. देवीलाल पुत्र बिदामी जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. माया पुत्री बिदामी जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. रूकमा देवी पुत्री बिदामी जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
10. उप पंजीयक खुईया तहसील नोहर।।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 879 सन 2022 निर्णय दिनांक 25/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 94/99 के खसरा नं. 1 की 6.4500 है० व खसरा नं. 38 की 6.5760 है० कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 13.0260 है० भूमि में से 1973/6513 हिस्सा भूमि में मृतका सन्तो पुत्री शादीराम का नाम क़लमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि ब० हि० ब० वादीगण को व 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 संयुक्त रूप से व 1/3 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 2605/13026 हिस्सा भूमि में मृतका परमेश्वरी पुत्री शादीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण 1/1 व 2/1 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:17:55 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर